

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

गीता बनारस 216 न

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा


क्र. 53/2016

न्यायालय हुक्म

न
आ
हु

23.05.2025

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण सम्मन तलबाना पेश करने हेतु अवसर चाहते हैं। वकील प्रार्थीगण को सम्मन तलबाना पेश करने हेतु पूर्व में 37 अवसर दिये जा चुके हैं परन्तु वकील प्रार्थीगण ने बावजूद हिदायत के सम्मन तलबाना पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को नॉन कम्पलाईन्स (Non Compliance) में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

